

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द छ.ग.

ज्ञाप क्र./ 5514 /स्था. 02./2025-2026

महासमुन्द, दिनांक 26 /09 /2025

//आदेश//

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर दिनांक 05 मार्च 2019 अधिसूचना अनुसार सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द द्वारा किया जाना प्रावधानित है। जिस हेतु जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से उनके विकासखण्ड में कार्यरत सहायक शिक्षक की वरिष्ठता सूची प्राप्त कर उसे जिला स्तर पर संकलित कर जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाना है। 2/ तदानुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02/वरि.सूची/2022 महासमुन्द दिनांक के द्वारा सहायक शिक्षक ई एवं (एल.बी.) की वरिष्ठता सूची में त्रुटि सुधार हेतु प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर समिति बनाई गई थी, तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, कि अपने विकासखण्ड के संबंधित सहायक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का सूक्ष्म सत्यापन कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रमाणित एवं सत्यापित सूची सौपेंगे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गठित समिति द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से परीक्षण उपरांत प्राप्त सूची अद्यतन कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को अंतिम सूची प्रकाशन करने हेतु निर्देशित किया गया था, तथा इसके पश्चात् भी दावा आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसका निराकरण कर जिला कार्यालय में सहायक शिक्षक एल.बी. की वरिष्ठता सूची प्रेषित करने का निर्देश दिया गया था।

मूलभूत नियम के नियम 15(1) के अनुसार श्रीमती गौरी नायक का सहायक शिक्षक पं. के पद पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुन्द के आदेश क्रमांक/965/ज.प./शिक.वर्ग03/नियुक्ति/2007-08 महासमुन्द दिनांक 06.11.2007 के तहत शासकीय प्राथ.शाला जलकी विकासखण्ड महासमुन्द में हुआ एवं श्रीमती नायक ने दिनांक 17.11.2007 को कार्यभार ग्रहण किया। श्रीमती गौरी नायक का आपसी स्थानान्तरण जनपद पंचायत महासमुन्द के आदेश क्र./722/शिक./स्था./ज.पं./2010 महासमुन्द दिनांक 30.08.2010 के अनुसार विकासखण्ड पिथौरा के विकल्प में हुआ तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी पिथौरा के द्वारा रिक्त पद शास.प्राथ.शाला फुटगुना में पदस्थ करने के फलस्वरूप संबंधित ने दिनांक 25.09.2010 को कार्यभार ग्रहण किया।

इस संबंध में वरिष्ठता निर्धारण बाबत शासन के नियम /निर्देश निम्नानुसार है।

1. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा./22/पंग्राविवि/2023 /947 दिनांक 11.12.2013 की कंडिका 05 अनुसार सहायक शिक्षक (पंचायत) का पद जनपद पंचायत का संवर्ग का पद है तथा सहायक शिक्षक (पंचायत) की वरिष्ठता स्वैच्छिक स्थानान्तरण के मामलों में नवीन विकास खण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य की गई है। इन नियमों की जानकारी सभी सहायक शिक्षक (पंचायत) को पहले से ही है। इसके बाद भी उनके द्वारा अपने निधि सुविधा को ध्यान में रखकर तथा पुराने विकासखण्ड की अपनी वरिष्ठता को खोकर नवीन विकासखण्ड में स्थानान्तरण की सुविधा प्राप्त किया गया है। अतः ऐसे सहायक शिक्षक (पंचायत) के मामलों में नवीन विकासखण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जावेगी। तथा उस तिथि में वे क्रमानुसार कनिष्ठ होंगे के लिये निर्देश प्रसारित किये गये हैं।
2. छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर संविलियन निर्देश क्रमांक 05 पत्र क्र एफ /12.03.2018 /20-दो /2018 दिनांक 06.07.2018 की कंडिका 09 अनुसार शिक्षक (पं/न.नि.) संवर्ग के व्यक्ति जो स्थानान्तरण के फलस्वरूप अपने पद के लिये निर्धारित क्षेत्र से पृथक अन्य क्षेत्र पर स्वैच्छिक स्थानान्तरण से पदांकित है। उनकी वरिष्ठता का निर्धारण स्थानान्तरित निकाय में कार्यभार ग्रहण दिनांक से किये जाने के निर्देश है।

इस कार्यालय द्वारा सहायक शिक्षक से शासकीय प्राथमिक शाला सोनासिल्ली प्रधान पाठक में पदोन्नति हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से पदोन्नति प्रस्ताव मंगाया गया जिसमें विकासखण्ड शिक्षा

kep

अधिकारी पिथौरा का प्रस्ताव पत्र में श्रीमती गौरी नायक, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला सोनासिल्ली विकासखण्ड पिथौरा का सहायक शिक्षक पं./न.नि का वरिष्ठता 17.11.2007 दिया गया है।

उक्त पदोन्नति के संबंध में दावा आपत्ति मंगाया गया जिसमें भी संबंधित का किसी प्रकार का विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा द्वारा दावा-आपत्ति उल्लेख नहीं किया गया था।

तत्संबंध में श्रीमती गौरी नायक का सहायक शिक्षक पं./न.नि. के पद पर वरिष्ठता दिनांक 04.08.2008 दिया गया एवं उक्त सहायक शिक्षक का वरिष्ठता 25.09.2010 होना था, जिसे विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा द्वारा पदोन्नति प्रस्ताव वरिष्ठता दिनांक 17.11.2007 दिये जाने के कारण संबंधित शिक्षिका का सहायक शिक्षक (एल.बी.) से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नत किया गया।

उक्त पदोन्नति के संबंध में शिकायतकर्ता श्री तुलसीराम पटेल एवं श्री महेन्द्र नाग द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर में शिकायत की गई है, शिकायत की जांच संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा 04 सदस्यीय जांच समिति द्वारा कराई गई, जिसमें श्रीमती गौरी नायक को पदोन्नति के दायरे से बाहर माना गया है, तथा अग्रिम कार्यवाही करने कार्यालयीन पत्र क्र./स्था03/विधि/प्र0पा0प्र0शा0/2025/1332 रायपुर, दिनांक 16.04.2025 के द्वारा “इस कार्यालय से की गई पदोन्नति का परीक्षण कर तथा व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये पदोन्नति के परिपेक्ष्य में कोई ठोस तथ्य एवं प्रमाण प्राप्त नहीं होने पर पदावनत आदेश जारी करेंगे” संबंधी निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त निर्देश के पालन इस कार्यालय के आदेश क्र./5029/स्था02/जांच/2025 महासमुन्द, दिनांक 10.09.2025 के द्वारा 05 सदस्यीय जांच समिति बनाकर श्रीमती गौरी नायक के प्रकरण की जांच कराई गई, जिसमें श्रीमती गौरी नायक का आपसी स्थानांतरण जनपद पंचायत महासमुन्द के आदेश क्र./722/शि.क./स्था./ज.पं./2010 महासमुन्द दिनांक 30.08.2010 के अनुसार विकासखण्ड पिथौरा के विकल्प में हुआ तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा के द्वारा रिक्त पद शास.प्राथ.शाला फुटगुना में पदस्थ करने के फलस्वरूप संबंधित ने दिनांक 25.09.2010 को कार्यभार ग्रहण किया, जिसके कारण प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति के लिये योग्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्त जांच परिणाम के आधार पर श्रीमती गौरी नायक को पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देते हुये कार्यालयीन पत्र पृष्ठांकित क्र. 5030 दिनांक 10.09.2025 के द्वारा लिखित सूचना देकर व्यक्तिशः सुनवाई के लिये दिनांक 17.09.2025 को समक्ष में बुलाया गया, तथा दिनांक 17.09.2025 को मौखिक सुनवाई उपरांत पूर्व में दिये गये लिखित जवाब दिनांक 28.04.2025 को मान्य करने का निवेदन किया गया। जिसमें श्रीमती गौरी नायक के द्वारा दिये गये जवाब संतोषकारक नहीं होने के कारण श्रीमती गौरी नायक को प्रधानपाठक प्राथमिक शाला से सहायक शिक्षक के पद पर पदावनत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्रीमती गौरी नायक का सहायक शिक्षक की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची में सहायक शिक्षक (एल.बी.) के अंतिम वरिष्ठता क्रम से नीचे क्रम में आ जाने के कारण कार्यालयीन पदोन्नति आदेश क्रमांक 50 दिनांक 03.01.2023 के तहत सहायक शिक्षक एल.बी. से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति आदेश को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये प्रधानपाठक प्राथमिक शाला से सहायक शिक्षक के पद पर पदावनत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(विजय कुमार लहरे)
जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुन्द

1. सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर को सादर प्रेषित।
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर को सादर प्रेषित।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर पेंशन बाड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला कोषालय अधिकारी महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित।
8. प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सोनासिल्ली/पण्डरीपानी विकासखण्ड पिथौरा को सूचनार्थ।
9. श्रीमती गौरी नायक को सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी उपस्थिति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के पूर्व कार्यरत शाला शा.प्राथ.शाला सोनासिल्ली, वि.ख. पिथौरा में देना सुनिश्चित करें।

hp
26/9/25
जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुन्द